

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी, 2021-माघ-2, शके 1942

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

दिनांक 22 दिसम्बर, 2020

क्र. 222/भू-अर्जन/2020.—इंदौर विकास प्राधिकारी द्वारा नवीन नगर विकास योजना टी.पी.एस.-01 हेतु म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 50(1)(क) के तहत विज्ञापित क्रमांक 138, दिनांक 31-08-2020 का प्रकाशन दिनांक 09-10-2020 को कराया गया । उक्त के अनुक्रम में निम्नानुसार शुद्धिपत्र जारी किया जाता है:-

“प्रारूप-सोलह”

[नियम 19 (2) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा ( 1 ) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की सूचना]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन एतद्वारा घोषित किया जाता है कि इंदौर विकास प्राधिकरण, नगर विकास स्कीम क्रमांक टी.पी.एस.-01 ग्राम खजराना जिला इंदौर बनाने का आशय रखता है. स्कीम में सम्मिलित किए गए खसरा क्रमांक निम्नानुसार हैं:-

अ. क्र.	भूमिस्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टर में)
1.	लक्ष्मण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित	जूनी इन्दौर	खजराना	325/4/2/1 पैकि	0.182
2.	शासकीय	जूनी इन्दौर	खजराना	264 मिन-3	0.008

♦ म.प्र.राजपत्र दिनांक 09-10-2020 में प्रकाशित ग्राम खजराना की सूची के सरल क्रमांक 26 एवं 27 पर उल्लेखित खसरा नंबर 265/1 पैकि एवं 265/2 पैकि कुल रकबा 0.149 हेक्टर के स्थान पर 0.192 हेक्टर, खसरा नंबर 293 मिन-1 पैकि, 293 मिन-2 पैकि रकबा 0.708 हेक्टर सूची के सरल क्रमांक 50 एवं 51 पर उल्लेखित रकबा 0.708 हेक्टर के स्थान पर 1.115 हेक्टर एवं खसरा नंबर 325/4/1/2 पैकि

रकबा 0.315 हेक्टर सूची के सरल क्रमांक 53 पर उल्लेखित रकबा 0.315 हेक्टर के स्थान पर 0.348 हेक्टर व खसरा नंबर 325/1/9/6 पैकि रकबा 0.416 हेक्टर सूची के सरल क्रमांक 70 पर उल्लेखित रकबा 0.416 के स्थान पर 0.050 हेक्टर पढ़ा जावे।

◆ शासकीय खसरा नंबर 296 पैकि रकबा 0.048 हेक्टर शासकीय सूची के सरल क्रमांक 5 पर उल्लेखित रकबा 0.048 हेक्टर के स्थान पर 0.080 हेक्टर पढ़ा जावे।

उपरोक्त सुधार पश्चात टी.पी.एस.-01 में शामिल कुल निजी भूमि का रकबा 40.103 हेक्टर एवं शासकीय भूमि का रकबा 8.976 हेक्टर होकर योजना का कुल क्षेत्रफल 49.079 हेक्टर होता है।

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से योजना में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार की भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं करेगा। (587-बी.)

दिनांक 22 दिसम्बर, 2020

क्र.223/भू-अर्जन/2020.—इंदौर विकास प्राधिकारी द्वारा नवीन नगर विकास योजना टी.पी.एस.-04 हेतु म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 50 (1)(क) के तहत विज्ञप्ति क्रमांक 141 दिनांक 31-08-2020 का प्रकाशन दिनांक 09-10-2020 को कराया गया। उक्त के अनुक्रम में निम्नानुसार शुद्धिपत्र जारी किया जाता है:-

“प्रारूप-सोलह”

[नियम 19 (2) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की सूचना]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन एतद्वारा घोषित किया जाता है कि इंदौर विकास प्राधिकरण, नगर विकास स्कीम क्रमांक टी.पी.एस.-04 ग्राम निपानिया, कनाडिया जिला इंदौर बनाने का आशय रखता है। स्कीम में सम्मिलित किए गए खसरा क्रमांक निम्नानुसार हैं:-

अ. क्र.	भूमिस्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टर में)
1.	श्री नंदराम पिता जगन्नाथ, देवराम, लक्ष्मीनारायण, नारायण पिता भेरा, पन्नाबाई बेवा हीरालाल हिस्सा 1085 व पर्ल एग्रोटेक तर्फे पार्टनर मोहन पिता इंदरसिंह सेंगर निवासी 5, काटस देव नगर इंदौर रिकीन पिता राजेश तलाटी निवासी मेन स्ट्रीट महू.	कनाडिया	कनाडिया	40/2 पार्ट	1.267
2.	श्रीमती आशाबाई पति संतोष कलोता, निवासी ग्राम बिचौली मर्दाना इंदौर.	कनाडिया	कनाडिया	53/2 पार्ट	0.672
3.	श्रीमती नीता पति संजय अग्रवाल, रितु पति मनोज अग्रवाल, जूनी इन्दौर अभिलाषा अपार्टमेंट अगस्त कोठी मार्ग मुम्बई एवं 338, साकेत नगर इंदौर.	जूनी इन्दौर	निपानिया	260/1 पार्ट	
4.	हज्जाती बानोबी पटेल पति हाजी नूर मोहम्मद पटेल, ग्राम खजराना इंदौर.	जूनी इन्दौर	निपानिया	260/2 पार्ट	0.619
5.	उस्मान पटेल, शरीफ पटेल, युनूस पटेल पिता हाजी नूर मोहम्मद, ग्राम खजराना इंदौर.	जूनी इन्दौर	निपानिया	260/3 पार्ट	
6.	श्रीमती नीता पति संजय अग्रवाल, 405/2 एम. जी. रोड इंदौर अपोलो टॉवर इंदौर.	जूनी इन्दौर	निपानिया	265/1 पार्ट	0.194
7.	उस्मान पटेल, शरीफ पटेल, युनूस पटेल पिता हाजी नूर मोहम्मद, ग्राम खजराना इंदौर.	जूनी इन्दौर	निपानिया	265/2 पार्ट	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टर में)
8.	ब्राइट स्टार हाउसिंग प्रा0लि0 तर्फे डायरेक्टर ऋषभ महाजन पिता सुरेशकुमार 708 तुलसीयानी चेम्बर, नरीमन पॉइन्ट मुम्बई.	जूनी इन्दौर	निपानिया	291 पार्ट	0.020
9.	नबीबक्ष पिता छीता नायता ग्राम खजराना इंदौर	कनाडिया	कनाडिया	35/1/1 35/1/2/1/मिन-1	
10.	श्रीमती कंचन पति सतीश मोतयानी 6, गुलमोहर कॉलोनी इंदौर.	कनाडिया	कनाडिया	35/1/2/1/मिन-2 35/1/2/2 35/2	4.355
11.	शासकीय	कनाडिया	कनाडिया	08	0.045
12.	शासकीय	कनाडिया	कनाडिया	46	0.044

• म.प्र.राजपत्र दिनांक 09-10-2020 में प्रकाशित ग्राम निपानिया की सूची के सरल क्रमांक 26 से 40 तक उल्लेखित खसरा नंबर 08 रकबा 2.784 हेक्टर तथा ग्राम कनाडिया की सूची के सरल क्रमांक 58, एवं 53 पर उल्लेखित खसरा नंबर 51 रकबा 1.926, 60/1 रकबा 1.525 एवं खसरा नंबर 150/1274 रकबा 0.080 हेक्टर एवं ग्राम कनाडिया की सूची के सरल क्रमांक 62 पर उल्लेखित खसरा नंबर 47 रकबा 0.817 हेक्टर को टी.पी.एस.-04 की सूची से विलोपित किया जाता है।

उपरोक्त सुधार पश्चात योजना में शामिल कुल निजी भूमि रकबा 73.557 हेक्टर एवं शासकीय भूमि का रकबा 11.830 हेक्टर होकर योजना का कुल क्षेत्रफल 85.387 हेक्टर है।

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से योजना में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार की भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं करेगा। (588-बी.)

दिनांक 22 दिसम्बर, 2020

क्र.224/भू-अर्जन/2020.—इंदौर विकास प्राधिकारी द्वारा नवीन नगर विकास योजना टी.पी.एस.-05 हेतु म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 50 (1)(क) के तहत विज्ञप्ति क्रमांक 142, दिनांक 31-08-2020 का प्रकाशन दिनांक 09-10-2020 को कराया गया। उक्त के अनुक्रम में निम्नानुसार शुद्धिपत्र जारी किया जाता है:-

“प्रारूप-सोलह”

[नियम 19 (2) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की सूचना]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन एतद्वारा घोषित किया जाता है कि इंदौर विकास प्राधिकरण, नगर विकास स्कीम क्रमांक टी.पी.एस.-05 ग्राम कनाडिया, तहसील कनाडिया, जिला इंदौर बनाने का आशय रखता है। स्कीम में सम्मिलित किए गए खसरा क्रमांक निम्नानुसार हैं:-

अ. क्र.	भूमिस्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टर में)
1.	ऋषभ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.इन्दौर	कनाडिया	कनाडिया	109	0.813
2.	मेसर्स मातृछाया इन्टरप्राइजेस प्रा.लि. तर्फे डॉ. रितेश अग्रवाल, पता-हुकुमचंद मार्ग, इन्दौर.	कनाडिया	कनाडिया	152	0.749
3.	एल.टी.बिल्डकॉन प्रा.लि., तरुण पिता विठ्ठलराव खाडे	कनाडिया	कनाडिया	150/1274	0.080
4.	गफूर खां पिता दाउद खां मुसलमान निवासी ग्राम खजराना, इन्दौर	कनाडिया	कनाडिया	51/1/2	0.914

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टर में)
5.	पार्श्वनाथ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित तर्फे अ. योगेश संघवी निवासी ग्राम कनाडिया, इन्दौर.	कनाडिया	कनाडिया	51/2/2/1	0.405
6.	लतादेवी पति सेवकराम खत्री, निवासी 49 विनयनगर, इन्दौर	कनाडिया	कनाडिया	51/2/2/2	0.622
7.	राधेश्याम पिता बालाराम कालोता, ग्राम-कनाडिया, इन्दौर	कनाडिया	कनाडिया	51/1/1/1	0.484
8.	सुभाष पिता बालाराम कालोता, ग्राम-कनाडिया, इन्दौर	कनाडिया	कनाडिया	51/1/1/2	0.485
9.	मेसर्स केसेन्डा रियल्टी प्रा.लि. कार्यालय 6 फ्लोर ट्रेजर आईलैंड 11 तुकोगंज मेन रोड, इन्दौर.	कनाडिया	कनाडिया	51/2/1	1.926
10.	श्री गम्भू पिता पीराजी नायता निवासी ग्राम खजराना	कनाडिया	कनाडिया	184/1/मिन-1	0.424
11.	नरेन्द्रकौर आनंद पति विरेन्द्रसिंह, श्रीमती कवलदीप पति जसवंतसिंह आनन्द निवासी 42, गुलमोहर कालोनी, इन्दौर. गोविन्ददास एच.यू.एफ. कर्ता गोविन्ददास पिता हरविलास सारडा निवासी 7/2, नार्थ राज मोहल्ला, इन्दौर.	कनाडिया	कनाडिया	186/1/2	0.696
	श्री गम्भू पिता पीराजी ग्राम-खजराना, इन्दौर	कनाडिया	कनाडिया	186/1/1	0.898
12.	श्री नंदराम पिता जगन्नाथ, देवराम लक्ष्मीनारायण व नारायण पिता भेरा पन्नाबाई बेवा हीरालाल हिस्सा 1085 व पर्ल एग्रोटेक तर्फे पार्टनर मोहन पिता इंदरसिंह सेंगर निवासी 5 काटस देव नगर, इंदौर रिकीन पिता राजेश तलाटी निवासी मेन स्ट्रीट महु, जिला इंदौर	कनाडिया	कनाडिया	40/2 पार्ट	0.898
13.	शासकीय श्री महादेव मंदिर व्यवस्थापक-श्री कलेक्टर महो. इंदौर.	कनाडिया	कनाडिया	49	1.991
14.	शासकीय	कनाडिया	कनाडिया	208/1 मिन-1	0.288

♦ म. प्र. राजपत्र दिनांक 09-10-2020 में प्रकाशित ग्राम कनाडिया के खसरा नंबर 224, 225, 233 की भूमियाँ टी.पी.एस.-06 में शामिल है। इन भूमियों को टी.पी.एस.-05 से विलोपित किया जाता है।

♦ म. प्र. राजपत्र दिनांक 09-10-2020 में प्रकाशित ग्राम कनाडिया के खसरा नंबर 39 की भूमियाँ टी.पी.एस.-04 में शामिल है। इन भूमियों को टी.पी.एस.-05 से विलोपित किया जाता है।

♦ ग्राम कनाडिया के खसरा नंबर 184/1/मिन-2 रकबा 0.032 हेक्टर टी.पी.एस.-06 में शामिल है। अतः टी.पी.एस.-05 की सूची से विलोपित किया जाता है।

♦ शासकीय खसरा नंबर 40/1/1, 170 एवं 171 की भूमियाँ टी.पी.एस.-05 में शामिल नहीं होने से इन भूमियों को टी.पी.एस.-05 की सूची से विलोपित किया जाता है।

उपरोक्त सुधार पश्चात टी.पी.एस.-05 में शामिल कुल निजी भूमि का रकबा 147.448 हेक्टर एवं शासकीय भूमि का रकबा 12.096 हेक्टर होकर योजना का कुल क्षेत्रफल 159.544 हेक्टर होता है।

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से योजना में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार की भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं करेगा।

(589-बी.)

क्र...../भू-अर्जन/2020.—इंदौर विकास प्राधिकारी द्वारा नवीन नगर विकास योजना टी.पी.एस.-06 हेतु म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 50 (1)(क) के तहत विज्ञप्ति क्रमांक 143, दिनांक 31-08-2020 का प्रकाशन दिनांक 09-10-2020 को कराया गया। उक्त के अनुक्रम में निम्नानुसार शुद्धिपत्र जारी किया जाता है:-

## “प्रारूप-सोलह”

[नियम 19 (2) देखिए]

## [धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की सूचना]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन एतद्वारा घोषित किया जाता है कि इंदौर विकास प्राधिकरण, नगर विकास स्कीम क्रमांक टी.पी.एस.-06 ग्राम कनाडिया, टिगरियाराव एवं बिचौली हप्सी तहसील-कनाडिया एवं बिचौली हप्सी, जिला इंदौर बनाने का आशय रखता है. स्कीम में सम्मिलित किए गए खसरा क्रमांक निम्नानुसार हैं:-

अ. क्र.	भूमिस्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टर में)
1.	श्री गम्मू पिता पिराजी ग्राम खजराना, इन्दौर श्री नरेन्द्र कौर आनंद पति वरिन्दरसिंह श्रीमती कवलदीप कौर पति जयपवनसिंह आनंद 42 गुलमोहर, इन्दौर श्री गोविन्ददास एचयूएफ कर्ता गोविन्ददास पिता हरविलास सारडा 7/2, नार्थ मोहल्ला, इन्दौर.	कनाडिया	कनाडिया	186/1/1 186/1/2 186/2	0.242
2.	राजेश्वरी पति प्रमोदकुमार दुआ 22 अनुप नगर, इंदौर	बिचौली हप्सी	बिचौली हप्सी	85/1 पार्ट	
3.	सर्जन होम 131, शास्त्री मार्केट, इन्दौर	बिचौली हप्सी	बिचौली हप्सी	85/2 पार्ट	
4.	हास्पिटल लघु उद्योग तर्फे किशनलाल पिता प्रीतमलाल दुआ, बी-चन्द्र नगर, इन्दौर.	बिचौली हप्सी	बिचौली हप्सी	85/3 पार्ट	
5.	स्टारलिंग क्रिएशन तर्फे जयकुमार पिता जेठानंद चावला, निवासी-9/1, न्यू पलासिया, इन्दौर.	बिचौली हप्सी	बिचौली हप्सी	85/4 पार्ट	0.283
6.	श्री चन्द्रप्रकाश पिता महेशचंद, सीताबाई पति श्रीचन्द्र, 38/2, न्यू पलासिया, इन्दौर.	बिचौली हप्सी	बिचौली हप्सी	85/5 पार्ट	
7.	रूचिर पिता सुनील कुमार, 19 ओल्ड पलासिया, इन्दौर	बिचौली हप्सी	बिचौली हप्सी	85/6/1 पार्ट 86/2	
8.	रूचिर पिता सुनील कुमार, 19 ओल्ड पलासिया, इन्दौर	बिचौली हप्सी	बिचौली हप्सी	85/6/2 पार्ट	
9.	भाग्येश पिता बसंत कुमार, 459, तिलक नगर, इन्दौर	बिचौली हप्सी	बिचौली हप्सी	85/7 पार्ट	
10.	एन.आर.फायनेंस, तर्फे नीतेश पिता अनिल गर्ग, निवासी-न्यू सियागंज, इन्दौर.	बिचौली हप्सी	बिचौली हप्सी	85/8 पार्ट 86/3 87/3	
11.	स्टारलिंग क्रिएशन तर्फे जयकुमार पिता जेठानंद चावला, निवासी-9/1, न्यू पलासिया, इन्दौर	बिचौली हप्सी	बिचौली हप्सी	85/9 पार्ट	
12.	स्टारलिंग क्रिएशन तर्फे जयकुमार पिता जेठानंद चावला, निवासी-9/1, न्यू पलासिया, इन्दौर.	बिचौली हप्सी	बिचौली हप्सी	85/11 पार्ट	
13.	श्री इन्द्रनाथ पिता झांगीराम मदान, निवासी-38/2, न्यू पलासिया, इन्दौर.	बिचौली हप्सी	बिचौली हप्सी	85/10 पार्ट	
14.	शासकीय	बिचौली हप्सी	बिचौली हप्सी	246	0.148

♦ म. प्र. राजपत्र दिनांक 09-10-2020 में प्रकाशित ग्राम कनाडिया का खसरा नंबर 150/1274 रकबा 0.080 हेक्टर टी.पी.एस.-06 में समाविष्ट नहीं होने से विलोपित किया जाता है।

♦ ग्राम कनाडिया का खसरा नंबर 184/1/मिन-1 रकबा 0.818 हेक्टर के स्थान पर रकबा 0.394 हेक्टर पढ़ा जावे।

उपरोक्त सुधार पश्चात टी.पी.एस.-06 में शामिल कुल निजी भूमि का रकबा 318.928 हेक्टर एवं शासकीय भूमि का रकबा 26.436 हेक्टर होकर योजना का कुल क्षेत्रफल 345.364 हेक्टर होता है।

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से योजना में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार की भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं करेगा। (590-बी.)

दिनांक 22 दिसम्बर, 2020

क्र.226/भू-अर्जन/2020.—इंदौर विकास प्राधिकारी द्वारा नवीन नगर विकास योजना टी.पी.एस.-07 हेतु म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 50 (1)(क) के तहत विज्ञप्ति क्रमांक 144 दिनांक 31-08-2020 का प्रकाशन दिनांक 09-10-2020 को कराया गया। उक्त के अनुक्रम में निम्नानुसार शुद्धिपत्र जारी किया जाता है:-

“प्रारूप-सोलह”

[नियम 19 (2) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की सूचना]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन एतद्वारा घोषित किया जाता है कि इंदौर विकास प्राधिकरण, नगर विकास स्कीम क्रमांक टी.पी.एस.-07 ग्राम पालाखेडी, बडा बांगडवा टिगरिया बादशाह एवं लिम्बोदागारी, तहसील मल्हारगंज, जिला इंदौर बनाने का आशय रखता है। स्कीम में सम्मिलित किए गए खसरा क्रमांक पूर्व अनुसार ही है:-

♦ म. प्र. राजपत्र दिनांक 09-10-2020 में प्रकाशित ग्राम बडा बांगडवा की सूची के सरल क्रमांक 113 पर उल्लेखित खसरा नंबर 521 रकबा 1.014 हेक्टर के स्थान पर खसरा नंबर 521 पार्ट रकबा 0.042 हेक्टर पढ़ा जावे।

♦ शासकीय खसरा नंबर 523 रकबा 0.502 हेक्टर शासकीय सूची के सरल क्रमांक 5 पर उल्लेखित रकबा 0.502 हेक्टर के स्थान पर 0.088 हेक्टर पढ़ा जावे।

♦ म.प्र. राजपत्र दिनांक 09-10-2020 में प्रकाशित ग्राम बडा बांगडवा की सूची के सरल क्रमांक 202, 203 एवं 204 पर उल्लेखित खसरा नंबर 606/1, 606/2 एवं 606/3 रकबा 0.125 हेक्टर योजनान्तर्गत नहीं होने से विलोपित किया जाता है।

♦ म.प्र. राजपत्र दिनांक 09-10-2020 में प्रकाशित ग्राम पालाखेडी की सूची के सरल क्रमांक 102 पर खसरा नंबर 235/1 रकबा 1.894 हेक्टर एवं खसरा नंबर 230 रकबा 3.772 हेक्टर व शासकीय खसरा नंबर 205 तथा खसरा नंबर 194/2 रकबा 1.084 हेक्टर योजनान्तर्गत नहीं होने से विलोपित किया जाता है।

♦ ग्राम पालाखेडी के खसरा नंबर 246/7 के स्थान पर 247/6 पढ़ा जावे।

उपरोक्त सुधार पश्चात टी.पी.एस.-07 में शामिल कुल निजी भूमि का रकबा 206.191 हेक्टर एवं शासकीय भूमि का रकबा 11.099 हेक्टर होकर योजना का कुल क्षेत्रफल 217.290 हेक्टर होता है।

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से योजना में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार की भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं करेगा। (591-बी.)

दिनांक 22 दिसम्बर, 2020

क्र.227/भू-अर्जन/2020.—इंदौर विकास प्राधिकारी द्वारा नवीन नगर विकास योजना टी.पी.एस.-08 हेतु म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 50 (1)(क) के तहत विज्ञप्ति क्रमांक 145 दिनांक 31-08-2020 का प्रकाशन दिनांक 09-10-2020 को कराया गया। उक्त के अनुक्रम में निम्नानुसार शुद्धिपत्र जारी किया जाता है:-

“प्रारूप-सोलह”

[नियम 19 (2) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की सूचना]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन एतद्वारा घोषित

किया जाता है कि इंदौर विकास प्राधिकरण, नगर विकास स्कीम क्रमांक टी.पी.एस.-08 ग्राम - लसुडिया मोरी, भँवरासला, तलावली चांदा, शक्कर खेडी, कुर्मेडी, अरंडिया, कैलोदहाला एवं भांग्या, जिला इंदौर बनाने का आशय रखता है। स्कीम में सम्मिलित किए गए खसरा क्रमांक निम्नानुसार हैं:-

अ. क्र.	भूमिस्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टर में)
1.	मेहरबानसिंह पिता कल्याणसिंह, निवासी-लसुडिया मोरी एवं अन्य 39 भू-धारक वर्ष 2020-21 के खसरा रेकार्ड अनुसार.	जूनी इन्दौर	लसुडिया मोरी	107 पार्ट	0.105
2.	अंजु पति सुनील गांग, निवासी-ग्रीन पार्क कॉलोनी, साउथ तुकोगंज, इन्दौर एवं अन्य 21 भू-धारक वर्ष 2020-21 के खसरा रेकार्ड अनुसार.	जूनी इन्दौर	लसुडिया मोरी	125 पार्ट	0.327
3.	श्री यशवंतसिंह पिता चंदरसिंह राजपूत, निवासी-ग्राम लसुडिया मोरी, इन्दौर एवं अन्य 41 भू-धारक वर्ष 2020-21 के खसरा रेकार्ड अनुसार.	जूनी इन्दौर	लसुडिया मोरी	126 पार्ट	0.214
4.	श्री लक्ष्मीचंद्र पिता कन्हैयालाल, राजुबाई बेवा मूलचंद, भगवानसिंह पिता मूलचंद निवासी-ग्राम कैलोदहाला, जिला-इन्दौर.	जूनी इन्दौर	कैलोदहाला	263 पार्ट	0.149
5	शासकीय	जूनी इन्दौर	तलावली चांदा	223	0.218

♦ म.प्र. राजपत्र दिनांक 09-10-2020 में प्रकाशित ग्राम तलावली चांदा की शासकीय खसरे नंबरों सूची के सरल क्रमांक 01 पर उल्लेखित खसरा नंबर 24 पार्ट कुल रकबा 0.060 हेक्टर सम्मिलित किया गया था। रकबा संशोधन अनुसार 0.060 हेक्टर के स्थान पर 0.970 हेक्टर पढ़ा जावे.

♦ ग्राम-कुर्मेडी की निजी खसरे नंबरों सूची के सरल क्रमांक-02 पर उल्लेखित खसरा नंबर 02 रकबा 0.951 हेक्टर सम्मिलित किया गया था. खसरा नंबर संशोधन अनुसार खसरा नंबर 02 पार्ट रकबा 0.951 के स्थान पर 0.012 हेक्टर पढ़ा जावे.

उपरोक्त सुधार पश्चात टी.पी.एस.-08 में शामिल कुल निजी भूमि का रकबा 253.966 हेक्टर एवं शासकीय भूमि का रकबा 47.876 हेक्टर होकर योजना का कुल क्षेत्रफल 301.842 हेक्टर होता है.

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से योजना में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार की भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं करेगा.

**विवेक श्रोत्रिय,**

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी,

इंदौर विकास प्राधिकारी, इंदौर

(592-बी.)

## अन्य सूचनाएं

### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मिथलेश तोमर है, मेरा घरेलू नाम ज्योति तोमर है इसी कारणवश रजिस्ट्री दस्तावेज क्रमांक 1253 जो कि दिनांक 29-08-2003 को क्रय किया गया था जिसमें मेरा नाम ज्योति तोमर अंकित है, जबकि मेरे अन्य दस्तावेज पेन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि में मेरा नाम मिथलेश तोमर दर्ज है. ज्योति तोमर और मिथलेश तोमर दोनों नाम मेरे ही हैं. अब भविष्य में मुझे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मिथलेश तोमर से ही जाना, पहचाना जाये.

पुराना नाम :

( ज्योति तोमर )

(596-बी.)

नया नाम :

( मिथलेश तोमर )

W/o श्री प्रशान्त सिंह तोमर,  
अवाडपुरा, इन्द्रानगर, कम्पू, लश्कर, ग्वालियर.

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने, अपना नाम अनन्य पाण्डेय से बदलकर अपना नया नाम मंगल पाण्डेय रख लिया है. मुझे सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम मंगल पाण्डेय के नाम से जाना एवं पहचाना जावे एवं उपयोग किया जावे.

पुराना नाम :

( अनन्य पाण्डेय )

(597-बी.)

नया नाम :

( मंगल पाण्डेय )

पिता-श्री अशोक कुमार पाण्डेय,  
पता-कृष्णापुरी, मुरार ग्वालियर (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम भारतीय जीवन बीमा निगम की दिनांक 28-01-2004 को क्रय की गई जीवन किशोर लाभ सहित पॉलिसी क्र. 342657855 में घरेलू नाम मोनिका पिता जगदीश मालवीया लिखा गया है. जिसे बदलकर ऐश्वर्या मालवीया पिता जगदीश मालवीया किये जाने हेतु आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई है. अतः उपरोक्त पॉलिसी में मेरा नाम ऐश्वर्या मालवीया पिता जगदीश मालवीया (AISHWARIYA D/o JAGDISH MALVIYA) पढ़ा जावे. सो विदित होवे.

पुराना नाम :

( मोनिका )

पिता-जगदीश मालवीया.

(598-बी.)

नया नाम :

( ऐश्वर्या मालवीया )

पिता-जगदीश मालवीया,  
मकान नं. 163, वार्ड नं. 04, सदर बाजार,  
ग्राम धनोरा, तहसील सेंधवा, जिला बड़वानी (म.प्र.).**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा उपनाम पूजा जैन (शेयर सर्टिफिकेट में) था, जिसे मैंने परिवर्तित करके पूजा डांगी कर लिया है. अतः शेयर सर्टिफिकेट सहित मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम पूजा डांगी से ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( पूजा जैन )

(599-बी.)

नया नाम :

( पूजा डांगी )

2/2, गली नं. 2, साई बाबा मंदिर के पास,  
मल्हारगंज इन्दौर (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा सही नाम पूनम चंद अग्रवाल है, जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु मेरे पुत्र अविन अग्रवाल की स्कूल मार्कशीट में मेरा नाम पूनम अग्रवाल लिखा हुआ है. जो कि मेरा आधा नाम ही है, अतः मेरे पुत्र के सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे पूर्ण नाम पूनम चंद अग्रवाल से ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( पूनम अग्रवाल )

( POONAM AGRAWAL )

(600-बी.)

नया नाम :

( पूनम चंद अग्रवाल )

( PUNAM CHAND AGRAWAL )

अग्रवाल सदन 6-26, नर्मदा रोड मुलतानी कॉलोनी,  
राउ, इन्दौर (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

मैं, साधना मूणत सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पुराना नाम भारती जैन था, जिसे मैंने परिवर्तित करके साधना मूणत कर लिया है. अतः मुझे मेरे सभी दस्तावेजों में मेरे नये नाम साधना मूणत से ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( भारती जैन )

( BHARTI JAIN )

(601-बी.)

नया नाम :

( साधना मूणत )

( SADHANA MUNAT )

इन्दौर (म.प्र.).

**CHANGE OF NAME**

I, Dhruvi Khatwani W/o Manish Khatwani, Residing at 604-A, Gokul Residency, 8/2 R.S. Bhandari Marg, Race Course Road, Indore (M.P.) do hereby declare that my maiden name is Seema Badlani D/o Ramesh Chand Badlani and after marriage dated 23-12-1996 my name is Dhruvi Khatwani.

I state that Seema Badlani and the Dhruvi Khatwani is the name of one and the same person and that is myself.

Old Name :

( SEEMA BADLANI )

(615-B.)

New Name :

( DHRUVI KHATWANI )



**CHANGE OF NAME**

I, Here by declare that I have changed my name from Babaulal to Babulal Rajan, henceforth in future I would be known by this new name only.

Old Name :

**( BABULAL )**

S/o Heeralal Rajak.

(603-B.)

New Name :

**( BABULAL RAJAN )**

S/o Heeralal Rajak,

Sector:-36/4, Ganesh Dham, Colony  
Near Banganga Thana, Indore (M.P.).**नाम परिवर्तन**

मोहन डिंगरोलिया आत्मज स्व. श्री बाबूलाल शर्मा, निवासी लोनिया करबल वार्ड क्र. 47 थाना देहात, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा है. मैं, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा में भृत्य के पद पर शासकीय सेवक हूँ, यह कि मेरा वास्तविक नाम मोहन लाल शर्मा है. जबकि मेरे शासकीय सेवा-पुस्तिका में त्रुटिवश मेरा नाम मोहन लाल डिंगरोलिया दर्ज चला आ रहा है. अतः मैंने अपना नया नाम मोहन लाल शर्मा कर लिया है. अतः शासकीय दस्तावेज में मेरा नाम मोहन डिंगरोलिया के स्थान पर मोहन लाल शर्मा पढ़ा, लिखा जावे.

पुराना नाम :

**( मोहन लाल डिंगरोलिया )**

(604-बी.)

नया नाम :

**( मोहन लाल शर्मा )****उप-नाम परिवर्तन**

मैं, दिनेश कुमार विश्वकर्मा पिता स्व. श्री दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा, उम्र करीब 34 वर्ष, निवासी माली मोहल्ला, लोनिया करबल, वार्ड नं. 45, परासिया रोड, छिन्दवाड़ा, तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) घोषणा करता हूँ, कि मेरे द्वारा विगत 16 (सोलह) वर्षों से जैन धर्म का अनुसरण करते हुए उसका अनुयायी हूँ जिसमें मेरे परिवार की पूर्ण सहमति एवं स्वीकृति प्राप्त है. इस कारण मेरा नाम दिनेश कुमार विश्वकर्मा के स्थान पर दिनेश कुमार जैन पिता स्व. श्री दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा पढ़ा व लिखा जाये, जिस हेतु यह सूचना जारी है.

पुराना नाम :

**( दिनेश कुमार विश्वकर्मा )**माली मोहल्ला, खेड़ापति माता मंदिर के पास,  
लोनिया करबल, परासिया रोड, छिन्दवाड़ा.

(605-बी.)

नया नाम :

**( दिनेश कुमार जैन )**पिता-स्व. श्री दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा,  
माली मोहल्ला खेड़ापति माता मंदिर के पास  
लोनिया करबल, वार्ड नं. 45  
तह./जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).**CHANGE OF NAME**

I, Bhagavan Singh Yadav S/o Dhoom Singh Yadav Residing at house No. 211k, Sudamapuri Nasrullaganj, District Sehore, Madhya Pradesh. I have chnganed my name from BHAGAVAN SINGH YADAV to MUKESH YADAV vide affidavit Dated-04-08-2020 sworn before Notary R.K. Sharma Bhopal.

Old Name :

**( BHAGAVAN SINGH YADAV )**

(606-B.)

New Name :

**( MUKESH YADAV )****जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है मेरा वास्तविक व सही नाम दिलीप पिता आदराम है. यही नाम मेरे अधिकांश दस्तावेजों में दर्ज/अंकित है तथा मुझे मेरे बाल्यकाल से घर पर प्रेमपूर्वक अजय कुमार भदौरिया के नाम से संबोधित किया जाता रहा होने से मेरे उक्तानुसार दो नाम क्रमशः दिलीप पिता आदराम एवं अजय कुमार भदौरिया पिता आदराम भदौरिया प्रचलन में है व मैं उक्त दोनों नामों से जाना, पहचाना व संबोधित किया जाता हूँ व उक्त दोनों नाम मेरे ही होकर एक ही व्यक्ति के नाम है. वर्तमान व भविष्य में दिलीप पिता आदराम के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

**( अजय कुमार भदौरिया )**

(607-बी.)

नया नाम :

**( दिलीप )**पिता-आदराम,  
सी-514, गली नं. 5, सेक्टर-ई,  
नन्दाबाग, इन्दौर (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व सूचित हो कि मेरे विवाह के पूर्व का नाम कमलेश ठाकुर पुत्री श्री हरी लाल ठाकुर है। सामाजिक, पारिवारिक रीतिरिवाज के अनुसार मेरे विवाह दिनांक 05-12-2005 के उपरांत मेरा नाम पूजा पारदासानी पत्नी श्री होमेश कुमार पारदासानी हुआ, तब से मैं, इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ।

पुराना नाम :

( कमलेश ठाकुर )

पुत्री-श्री हरी लाल ठाकुर,

(610-बी.)

नया नाम :

( पूजा पारदासानी )

पत्नी-श्री होमेश कुमार पारदासानी.

निवासी-एम. आई.जी. 12, श्रीराम कुंज भरत नगर,  
मैन रोड, ई-8, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.**आम सूचना**

( भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन )

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्री श्याम फूड एण्ड बेवरेज पंजी. क्र. 0090, दिनांक 20-07-2018, 02 गांधी मार्केट नियर हनुमान चौराहा, सदर बाजार, मुरैना था, नवीन पता-39, दौजी वेयरहाउस के पास विक्रम नगर, मुरैना किया गया एवं फर्म की रचना एवं पते में दिनांक 02-12-2020 को साझेदारी संशोधन निम्नलिखित पक्षकारों के मध्य लिपिबद्ध किया गया है। जो निम्नानुसार हैं:-

(1) मनीष सिंघल पुत्र श्री तुलसीदास सिंघल, (2) सुमित बंसल पुत्र श्री गिराज बंसल, (3) दिलीप कुमार बाँदिल पुत्र श्री चिम्नलाल बाँदिल, (4) आयुष बंसल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद बंसल, (5) कपिल बंसल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद बंसल भागीदार हैं। दिनांक 02-12-2020 से कपिल बंसल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद बंसल उक्त फर्म से अपनी आपसी सहमति से पृथक् हो गये हैं। दिनांक 02-12-2020 से आयुष बंसल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद बंसल उक्त फर्म में नये भागीदार बनाये गये हैं।

नमन मोदी एण्ड एसोसियेट्स,

नमन मोदी,

चार्टर्ड एकाउंटेंट,

मुरैना ( म.प्र. )

(602-बी.)

**आम सूचना**

( भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधीन सूचना-पत्र )

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि KAMDHENU INDUSTRIES फर्म पंजीयन क्र. 01/01/01/0029/20, दिनांक 16-06-2020 को पंजीकृत हुई है। जिसके 5 भागीदारों एम. के. अग्रवाल पुत्र स्व. श्री एस. एन. अग्रवाल, अभय अग्रवाल पुत्र श्री एम. के. अग्रवाल, श्रीमती अनिता पत्नी श्री मुकेश, सोनू मंगल पुत्र श्री रामेश्वर दयाल मंगल, रघुवीर साहू पुत्र श्री मांगीलाल साहू में से भागीदार एम. के. अग्रवाल पुत्र स्व. श्री एस. एन. अग्रवाल फर्म की भागीदारी से दिनांक 17-07-2020 से पृथक् हो गये हैं तथा फर्म की भागीदारी में दिनांक 17-07-2020 से अंकित शर्मा पुत्र श्री विनोद कुमार शर्मा सम्मिलित हो गये हैं। वर्तमान में भागीदार अभय अग्रवाल पुत्र श्री एम. के. अग्रवाल, श्रीमती अनिता पत्नी श्री मुकेश, सोनू मंगल पुत्र श्री रामेश्वर दयाल मंगल, रघुवीर साहू पुत्र श्री मांगीलाल साहू एवं अंकित शर्मा पुत्र श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा फर्म संचालित रहेगी।

For-Kamdhenu Industries,

अभय अग्रवाल,

( भागीदार )

Plot No. 83, Zone II, M. P. Nagar,

Bhopal (M. P.) 462011

(608-बी.)

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मन्दसौर सीमेन्ट पाईप फेक्टरी मन्दसौर, पता-महू नीमच रोड, मन्दसौर, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश पंजीयन क्रमांक 46/1963-64, दिनांक 09-04-1963 है। जिसमें दिनांक 30-09-2020 को (1) Smt. Mukta Goyal W/o Shri Vishal ji Goyal, Resident of Starch Factory Premises, Mhow Neemuch Road, Mandsaur, Dist. Mandsaur (M.P.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गई है। उक्त दिनांक 30-09-2020 से इस फर्म से Smt. Mukta Goyal W/o Shri Vishal Ji Goyal जी का कोई लेना-देना नहीं है।

वर्तमान में इस फर्म मेसर्स मन्दसौर सीमेन्ट पाईप फेक्टरी मन्दसौर में निम्नानुसार भागीदार रह गये हैं।

For-Mandsaur Cement Pipe Factory,

(1) Alpana Gupta, (2) Pooja Goyal,

(3) Rakhi Garg,

(Partner).

(611-बी.)

**आम सूचना****( भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधीन सूचना-पत्र )**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि M/s Daulat Shri Engineering फर्म पंजीयन क्र. 01/01/01/0146/19, दिनांक 16-07-2019 को पंजीकृत हुई है। जिसके 2 भागीदारों Mr. Lokesh Tiwari S/o Mr. Yamini Ranjan Tiwari, Mr. Nishant Thakur S/o Mr. Sonpal Thakur में से भागीदार Mr. Nishant Thakur S/o Mr. Sonpal Thakur फर्म की भागीदारी से दिनांक 09-09-2020 से पृथक् हो गये हैं तथा फर्म की भागीदारी में दिनांक 09-09-2020 से Mr. Mayank Tiwari S/o Mr. Y. R. Tiwari सम्मिलित हो गये हैं। वर्तमान में भागीदार Mr. Lokesh Tiwari S/o Mr. Yamini Ranjan Tiwari, Mr. Mayank Tiwari S/o Mr. Y. R. Tiwari द्वारा फर्म संचालित रहेगी।

M/s Daulat Shri Engineering,  
**LOKESH TIWARI,**  
(Partner).

Plot No. 84, Sector-B,  
Industrial Area Bagroda the.  
Phanda, Distt. Bhopal.

(612-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स गोयल पब्लिसिटी सेंटर, पता-सी-8, पत्रकार कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल है। जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00085/10, सन् 2010-11 है। दिनांक 18-12-2020 को भागीदार डीड बनाई गई। सभी भागीदार अपनी सहमति से फर्म से पृथक् हो गए। भागीदार (1) दीपक गोयल पुत्र आत्मज स्व. रघुनंदन गोयल, (2) श्री गौरीशंकर गोयल आत्मज स्व. रघुनंदन गोयल, (3) श्रीमती शांती बाई गोयल पत्नी स्व. रघुनंदन गोयल है तथा उक्त फर्म को श्रीमती शांति बाई गोयल पत्नी स्व. रघुनंदन गोयल द्वारा निश्चय किया कि वह फर्म को प्रोपराइटर रूप में फिर चालू रखेंगी। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

**शांति बाई गोयल,**  
(प्रोपराइटर).

(613-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स गीत रियल्टी जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/0362/21, दिनांक 09-01-2021 है। जो कि एम. पी. नगर जोन, 2, भोपाल म.प्र. में स्थित है। जिसमें दिनांक 10-01-2021 को भागीदार (1) श्री चेतन गिरी गोस्वामी पुत्र श्री पदम गिरी गोस्वामी, (2) श्री शंकर सेवानी पुत्र स्व. श्री कन्हैया लाल सेवानी, (3) श्रीमती सोनी लालचंदानी पत्नी श्री दीपक लालचंदानी, (4) श्रीमती वर्षा कोटवानी पत्नी श्री जवाहरलाल कोटवानी अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गए हैं एवं इसी दिनांक 10-01-2021 को श्री राकेश अग्रवाल पुत्र श्री के. के. अग्रवाल, निवासी 64, गोल्डन सिटी, जाटखेडी, भोपाल एवं श्री संजीव अग्रवाल पुत्र स्व. श्री सुशील कुमार अग्रवाल, निवासी E-2/134, अरेरा कॉलोनी, भोपाल नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं तथा दिनांक 14-01-2021 को भागीदार श्री दीपक लालचंदानी पुत्र श्री जे. के. लालचंदानी एवं श्री राजेश कुमार जैन (HUF) द्वारा कर्ता श्री राजेश कुमार जैन एवं श्री जवाहर लाल कोटवानी पुत्र श्री टी. सी. कोटवानी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

मैसर्स-गीत रियल्टी,  
**राकेश अग्रवाल,**  
(भागीदार)

250, सागर प्लाजा, एम. पी. नगर जोन-2,  
भोपाल (म.प्र.).

(614-बी.)

**विविध****न्यायालयों की सूचनाएं****न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर (नगरीय) एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला-सतना****प्रारूप क्र. 4**

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक सतना जिला के समक्ष.

यतः कि श्री अरूण कुमार शर्मा तनय श्री सुन्दरलाल शर्मा, निवासी वार्ड नं. 36, डालीबाबा चौक सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 30 जनवरी, 2021 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम व पता : “श्री भूत भावन बटइया भोलेनाथ धार्मिक एवं परमार्थिक न्यास”  
तमसा नदीतीर ग्राम पंचायत भरहुत, तहसील उचेहरा, जिला सतना (म.प्र.).
2. न्यास का पता : वार्ड नं. 36, मकान नं. 12, डालीबाबा चौक सतना, तहसील रघुराजनगर,  
जिला सतना (म.प्र.).
3. अचल संपत्ति : निरंक
4. चल संपत्ति : 11,000.00 रुपये नगद.

### प्रारूप-5

[देखें नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]  
लोक न्यासों के पंजीयक सतना के समक्ष,

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है।

अब इसलिए मैं, राजेश शाही, लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 30 जनवरी, 2021 को कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 30 जनवरी, 2021 के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

राजेश शाही,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(31)

### न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, जिला बुरहानपुर

प्र.क्र. बी/113/2020-21.

जारी दिनांक 30 दिसम्बर, 2020

(नियम-पॉच-1 देखिये)

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत]

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि आवेदन-पत्र श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट नीमगांव, निवासी नीमगांव तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा अध्यक्ष श्री प्रकाश पिता भीकाजी, निवासी नीमगांव, तहसील एवं जिला बुरहानपुर, तहसील एवं जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये “ लोक न्यास ” के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा।

**अनुसूची**

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट नीमगांव, निवासी नीमगांव तहसील व जिला बुरहानपुर
2. वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष : श्री प्रकाश पिता भीकाजी, निवासी नीमगांव, तहसील एवं जिला बुरहानपुर.
3. चल सम्पत्ति : निरंक.
4. अचल सम्पत्ति : निरंक.

**के. आर. बडौले,**

अनुविभागीय अधिकारी.

(32)

**न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी उप-खण्ड, मंदसौर, जिला मंदसौर**

प्र.क्र. /2020-21.

**नियम-चार**

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर के **समक्ष**.

चूंकि डॉ. एस. एम. जैन, निवासी नयापुरा रोड, लक्कडपीठा मंदसौर द्वारा सन्मति दिगम्बर जैन न्यास, तहसील मंदसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची ने लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 05 फरवरी, 2021 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है.

अतः मैं, वीरप्रताप सिंह पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 06 जनवरी, 2021 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

**संपत्ति का विवरण**

लोक न्यास का नाम	:	सन्मति दिगम्बर जैन न्यास ट्रस्ट.
(अ) अचल सम्पत्ति	:	-
(ब) चल सम्पत्ति	:	-

**वीरप्रताप सिंह,**

अनुविभागीय अधिकारी (उपखण्ड).

(33)

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन**

रा.प्र.क्र.0005/बी-113(1)/2020-21.

मण्डलेश्वर, दिनांक 05 जनवरी, 2020

**फार्म-चार**

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5(1) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक स्वामी समानन्दगिरी पिता स्वामी श्री संवित सोगगिरी जी महाराज, निवासी शिवबाड़ी, लालेश्वर महादेव मंदिर बीकानेर, राजस्थान न्यासधारी एवं सदस्य द्वारा "श्री सप्तमातृका नार्मदीय वेद सेवा मठ" महेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 के तहत सार्वजनिक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने का निवेदन किया गया है.

अतः मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता लोक न्यासों का पंजीयक मेरे न्यायालय में दिनांक 05 फरवरी, 2021 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा उक्त मामलों की जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ।

उक्त आवेदन-पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा वकील या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति/सुझाव को विचार में नहीं लिया जायेगा।

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम : “श्री सप्तमातृका नार्मदीय वेद सेवा मठ” महेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन (म.प्र.).
2. न्यास का पता : अर्पित सोनी, खेड़ापति मार्ग महेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन (म.प्र.).
3. चल सम्पत्ति : 11,000/-
4. अचल सम्पत्ति : निरंक.

यह सूचना आज दिनांक 05 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई।

मिलिन्द ढोके,

(34)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

### अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाएं, मर्या., विदिशा

विदिशा, दिनांक 02 जनवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57(ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/क्यू.—निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70(1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., इमलिया	481/22-01-1988	13/05-01-2006
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गाजीखेड़ी	562/19-09-1998	276/06-03-2007
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पीपलखेड़ा	474/11-01-1993	520/25-04-2007
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बागरी	482/21-01-1993	519/25-04-2007

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, विदिशा में उपस्थित होकर लिखितरूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबंधित लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 2 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

रामदयाल सिंह राज,  
सहकारिता निरीक्षक.

(35)

**कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल, दतिया**

सर्व-साधारण जनता एवं पशु चराने वालों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित वृक्षारोपणों/कूपों को दिनांक 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021 तक के लिये चराई से वर्जित क्षेत्र घोषित किया जाता है, जो व्यक्ति इन वर्जित क्षेत्रों में पशु चराई करायेगा उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-26 व 33 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर दण्डित किया जावेगा:-

**चराई से वर्जित क्षेत्रों की सूची वर्ष 2016-17 से 2020-21**

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	वृक्षारोपण स्थल का नाम	कक्ष क्रमांक	वर्ष	क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
1	2	3	4	5	6
1.	सेंवड़ा	टुंकी	P-4	2016-17	145.57
2.	सेंवड़ा	डिरोलीपार	P-8	2016-17	231.75
3.	सेंवड़ा	डिरोलीपार	P-24	2016-17	138.39
4.	सेंवड़ा	गुमानपुर	P-1	2016-17	154.35
5.	सेंवड़ा	मदनपुरा	P-10	2016-17	115.2
6.	सेंवड़ा	जरा	P-11	2016-17	107.77
7.	सेंवड़ा	लोकेन्द्रपुर	P-18	2016-17	137.7
8.	सेंवड़ा	लोकेन्द्रपुर	P-21	2016-17	131.17
9.	दतिया	चौपरा	P-65	2016-17	207.9
10.	दतिया	कालीपहाडी	P-80	2016-17	122.62
11.	दतिया	मुड़रा	P-85	2016-17	112.5
12.	गोराघाट	खोड़न	109	2016-17	134.32
13.	सेंवड़ा	बसई मलक	31	2016-17	186.3
14.	सेंवड़ा	बिलासपुर	39	2016-17	166.95
15.	सेंवड़ा	भरसूला	42	2016-17	124.42
16.	दतिया	रिछरा	P-54	2016-17	112.27
17.	दतिया	चौपरा	P-60	2016-17	147.82
18.	दतिया	गुजर्गा	69	2016-17	53.55
19.	दतिया	लरायटा	P-70	2016-17	58.95
20.	दतिया	चक बहादुरपुर	48	2016-17	103.5
21.	गोराघाट	गोरा कोटरा	93	2016-17	86.17
22.	गोराघाट	डंगराकुंआ	P-100	2016-17	107.1
23.	गोराघाट	हिंडौरा	P-103	2016-17	104.6
24.	सेंवड़ा	चिताई	29	2017-18	64.38
25.	सेंवड़ा	बिलासपुर	40	2017-18	35.94
26.	सेंवड़ा	भरसूला	41	2017-18	41.77
27.	सेंवड़ा	मदनपुरा	14	2017-18	46.98
28.	सेंवड़ा	भरसूला	42	2017-18	18.69
29.	गोराघाट	हिंडौरा	103	2017-18	58.07
30.	दतिया	भूता	51	2017-18	63.57
31.	दतिया	चक बहादुरपुर	47	2017-18	78.89

1	2	3	4	5	6
32.	दतिया	बसई	84	2017-18	42.99
33.	दतिया	पलोथर	80	2017-18	51.96
34.	दतिया	जिगना	68	2017-18	53.04
35.	दतिया	चक रामसागर	58	2017-18	42.22
36.	दतिया	रिछरा	54	2017-18	83.95
37.	दतिया	सिरोल	56	2017-18	38.87
38.	गोराघाट	निचरौली	113	2017-18	46.83
39.	सेंवड़ा	डिरोलीपार	17	2018-19	42.99
40.	सेंवड़ा	लोकेन्द्रपुर-I	18	2018-19	43.72
41.	सेंवड़ा	लोकेन्द्रपुर-II	20	2018-19	60.13
42.	सेंवड़ा	थरेट-I	32	2018-19	54.27
43.	सेंवड़ा	थरेट-II	34	2018-19	54.13
44.	सेंवड़ा	थरेट	37	2018-19	31.42
45.	सेंवड़ा	डिरोलीपार-I	8	2018-19	53.99
46.	सेंवड़ा	डिरोलीपार-II	9	2018-19	58.58
47.	सेंवड़ा	डिरोलीपार-III	16	2018-19	40.74
48.	सेंवड़ा	खमरौली-I	21	2018-19	55.65
49.	सेंवड़ा	खमरौली-II	22	2018-19	45.78
50.	सेंवड़ा	उदनपुर-I	10	2018-19	56.5
51.	सेंवड़ा	उदनपुर-II	14	2018-19	50.87
52.	सेंवड़ा	राजापुर-I	4	2018-19	49.25
53.	सेंवड़ा	राजापुर-II	5	2018-19	43.82
54.	सेंवड़ा	राजपुर	6	2018-19	50.66
55.	सेंवड़ा	रतनगढ़-I	29	2018-19	61.82
56.	सेंवड़ा	रतनगढ़-II	40	2018-19	55.13
57.	सेंवड़ा	रतनगढ़-III	41	2018-19	62.14
58.	सेंवड़ा	रिपोली-I	11	2018-19	78.55
59.	सेंवड़ा	रिपोली-II	23	2018-19	72.3
60.	सेंवड़ा	रिपोली-III	27	2018-19	22.49
61.	सेंवड़ा	रिपोली-IV	28	2018-19	131.75
62.	सेंवड़ा	सेंवड़ा-I	1	2018-19	39.77
63.	सेंवड़ा	सेंवड़ा-II	2	2018-19	59.19
64.	सेंवड़ा	ऊँचिया-I	42	2018-19	27.93
65.	सेंवड़ा	ऊँचिया-II	43	2018-19	51.8
66.	सेंवड़ा	सेंवड़ा	13	2018-19	80.13
67.	दतिया	अधौरा-I	60	2018-19	35.75
68.	दतिया	अधौरा-II	61	2018-19	37.25
69.	दतिया	भूता-I	47	2018-19	63.44



1	2	3	4	5	6
70.	दतिया	भूता	51	2018-19	90.34
71.	दतिया	दतिया-II	57	2018-19	39.63
72.	दतिया	घरावा-I	71	2018-19	39.65
73.	दतिया	घरावा-II	72	2018-19	55.33
74.	दतिया	काली पहाड़ी	53	2018-19	54.65
75.	दतिया	बसई	84	2018-19	49.25
76.	दतिया	भूता-I	48	2018-19	59.77
77.	दतिया	चौपरा-I	65	2018-19	64.35
78.	दतिया	चौपरा-II	68	2018-19	49.82
79.	दतिया	चौपरा-III	80	2018-19	23.48
80.	दतिया	दतिया-I	54	2018-19	95.46
81.	दतिया	दतिया-III	58	2018-19	32.78
82.	दतिया	उद्गवां-I	76	2018-19	44.21
83.	सेवदा	उद्गवां-II	56	2018-19	43.28
84.	सेवदा	उद्गवां-III	82	2018-19	51.19
85.	गोराघाट	बड़ौनी-I	110	2018-19	45.08
86.	गोराघाट	गोराघाट	94	2018-19	41.22
87.	गोराघाट	हिनौतिया	99	2018-19	33.03
88.	गोराघाट	घूघसी-I	103	2018-19	50.95
89.	गोराघाट	घूघसी-II	105	2018-19	45.54
90.	गोराघाट	गोराघाट	93	2018-19	36.9
91.	गोराघाट	हिनौतिया-I	100	2018-19	75.16
92.	गोराघाट	हिनौतिया-II	102	2018-19	49.47
93.	गोराघाट	रैवारी	95	2018-19	17.49
94.	गोराघाट	बड़ौनी-I	111	2018-19	65.09
95.	गोराघाट	बड़ौनी-II	113	2018-19	42.19
96.	सेवदा	डीपार	8	2019-20	35.410
97.	सेवदा	डीपार	9	2019-20	45.250
98.	सेवदा	बघावली	16	2019-20	53.060
99.	सेवदा	लोकेन्द्रपुर	21	2019-20	49.050
100.	सेवदा	ढिमरपुरा	22	2019-20	65.250
101.	सेवदा	मदनपुरा	10	2019-20	43.180
102.	सेवदा	रोशनपुरा	4	2019-20	59.280
103.	सेवदा	जरा	5	2019-20	50.590
104.	सेवदा	म्यारा	6	2019-20	41.720
105.	सेवदा	जरा	11	2019-20	74.820
106.	सेवदा	ढिमरपुरा	23	2019-20	56.780

1	2	3	4	5	6
107.	सेवदा	खमरौली	27	2019-20	29.420
108.	सेवदा	डोंगरपुर	28	2019-20	113.080
109.	सेवदा	गुमानपुरा	1	2019-20	35.010
110.	सेवदा	रोशनपुरा	2	2019-20	55.510
111.	सेवदा	राजौरा	45	2019-20	50.490
112.	गोराघाट	औरीना	105	2019-20	32.670
113.	गोराघाट	सुनारी	93	2019-20	35.990
114.	गोराघाट	हिनोतिया	100	2019-20	62.470
115.	गोराघाट	हिनोतिया	102	2019-20	60.800
116.	दतिया	भूता	51	2019-20	50.000
117.	दतिया	काली पहाड़ी	80	2019-20	50.000
118.	दतिया	जिगना	76	2019-20	25.000
119.	दतिया	गुजरा	73	2019-20	5.000
120.	दतिया	काली पहाड़ी	79	2019-20	5.000
121.	दतिया	मनिहारपुरा	61	2019-20	5.000
122.	दतिया	चंदेवा	114	2019-20	5.000
123.	दतिया	सेरसा	71	2019-20	50.000
124.	दतिया	गुजरा	74	2019-20	50.000
125.	सेवदा	डांग सेवदा	9	2019-20	5.000
126.	सेवदा	मरसेनी	31	2019-20	5.000
127.	सेवदा	लांच	39	2019-20	5.000
128.	सेवदा	गोविन्द नगर	41	2019-20	50.000
129.	गोराघाट	औरीना	105(I)	2019-20	5.000
130.	गोराघाट	औरीना	105(II)	2019-20	5.000
131.	गोराघाट	हिंडोरा	103	2019-20	50.000
132.	दतिया	सेरसा	P-71	2019-20	50.000
133.	दतिया	गुजरा	P-74	2019-20	50.000
134.	गोराघाट	घूघसी	P-103	2019-20	50.000
135.	सेवदा	गोविन्दनगर	R-41	2019-20	50.000
136.	दतिया	भूता	P-51,52	2019-20	50.000
137.	दतिया	कालीपहाड़ी	P-80	2019-20	50.000
138.	दतिया	जिगना	P-76	2019-20	25.000
139.	दतिया	भूता	P-51	2019-20	50.000
140.	दतिया	भूता	P-53	2019-20	50.000
141.	दतिया	जिगना	P-68	2019-20	35.000

प्रियांशी सिंह राठौड़,

(भा.व.से.)

वनमंडलाधिकारी.

(30)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी, 2021-माघ 2, शके 1942

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकी सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2020

1. मौसम एवं वर्षा:—प्रायः राज्य में मौसम मेधाछादित रहा. राज्य के कुछ जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है. संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में वर्षा मिली मीटर में प्रतिवेदित की गई है.

2. प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव :-राज्य के कुछ जिलों में जुलाई चालू है.
3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- राज्य के कुछ जिलों में बोनी चालू है.
4. धानरोपाई पर वर्षा का प्रभाव :-रोपाई समाप्त हो चुकी है.
5. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :-कोई प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :-कोई प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
7. अन्य असामयक घटना से क्षति :-कोई क्षति होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
8. फसल स्थिति :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में कुछ जिलों में फसल बिगाड़ी हुई प्रतिवेदित किया गया है.
9. सिंचाई:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है.
10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
12. बीज:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.



























1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
44.	हरदा :		पर्याप्त	जुताई चालू	..	..	..	गोहूँ	..	..	कम	..	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	हरदा	9.2	..	बोनी चालू	..	..	..	चना	..	..	अधिक	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
	खिड़किया	6.8	..	..	..	..	..	अन्य	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
	सिराली	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	रेहटगांव	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	हडिया	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	टिमरनी	8.5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
45.	जबलपुर:		पर्याप्त	जुताई चालू	..	..	..	गोहूँ	..	..	कम	15%	सामान्य	..	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
	आधारताल	..	..	..	..	..	..	मटर	..	..	अधिक	20%	समान	..	..	..	..	..	..
	कुण्डम	1.8	..	..	..	..	..	मसूर	..	..	कम	50%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
	सीहोरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	पाटन	1.4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	मझौली	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	शाहपुरा	2.4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
46.	कटनी :		पर्याप्त	जुताई चालू	..	..	..	चना	गोहूँ	..	..	..	सामान्य	..	5. पर्याप्त	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	बहोरीबंद	1.5	..	बोनी चालू	..	..	..	अलसी	..	..	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
	ढीमरखेड़ा	0.3	..	..	..	..	..	मसूर	..	..	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
	रीठी	7.2	..	..	..	..	..	#REF!	..	..	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
	बड़वारा	1.0	..	..	..	..	..	खई-सस्से	..	..	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
	मुड़वारा (क)	21.0	..	..	..	..	..	तुअर	..	..	..	..	समान	..	..	..	..	..	..
	विजयराषवगढ़	6.2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बरही	6.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
47.	नरसिंहपुर :		..	जुताई चालू	..	..	..	गन्ना	..	..	अधिक	5%	..	..	5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	नरसिंहपुर	..	..	बोनी चालू	..	..	..	तुअर	..	..	कम	2%	..	..	..	..	..	..	..
	गोटेगांव	..	..	..	..	..	..	गोहूँ	..	..	कम	40%	..	..	..	..	..	..	..
	करेली	..	..	..	..	..	..	चना	..	..	कम	30%	..	..	..	..	..	..	..
	गाडरवारा	..	..	..	..	..	..	मसूर	..	..	कम	10%	..	..	..	..	..	..	..
	तेंदूखेड़ा	..	..	..	..	..	..	मटर	..	..	कम	15%	..	..	..	..	..	..	..





1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
52.	बालाघाट :		.. ..	जुताई चालू	..	..	..	गेहूँ	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
	बालाघाट		.. ..	बोनी चालू	..	..	..	चना	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	लाँजी		.. ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	किरनापुर		.. ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बैहर		.. ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	वारासिवनी		.. ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	कटंगी		.. ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	लालबर्वा		.. ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	तिरोडी		.. ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	परसवाड़ा		.. ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बिरसा		.. ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	खैरलाँजी		.. ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

टीप-जिला निवाड़ी से पत्रक अप्राप्त है.

(29)

बी. बी. अग्निहोत्री,  
उप-आयुक्त,  
वास्ते-आयुक्त,  
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.